भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
21.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2416 का उत्तर

एलपीजी गैस बर्नर वाली स्टॉल-ट्रॉलियों का कार्यान्वयन

2416. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्मों पर स्टॉल-ट्रॉलियों के माध्यम से यात्रियों को ताजी और गर्म चाय, पूड़ी-सब्जी, समोसा, वड़ा-सांभर और अन्य खाद्य पदार्थ/वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और केवल कुछ मंडलों में ही एलपीजी गैस बर्नर वाली स्टॉल-ट्रॉलियों के उपयोग का प्रावधान लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्टालों और ट्रॉलियों पर गैस बर्नर के उपयोग को धीरे-धीरे कम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और अधिकांश मंडलों ने ट्रॉलियों पर एलपीजी गैस बर्नर के उपयोग की अनुमति नहीं दी है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को ट्रॉलियों पर एलपीजी गैस बर्नर के एकसमान उपयोग की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): जी हाँ। भारतीय रेल का रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर स्टालों और ट्रॉलियों सहित स्थैतिक खानपान इकाइयों के माध्यम से रेल यात्रियों के लिए अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ खाद्य पदार्थों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास रहता है।

s.k

(ख) से (च): मौजूदा खानपान नीति 2017 के अनुसार, उपनगरीय स्टेशनों पर प्लेटफार्मों पर खाना पकाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और अन्य स्टेशनों के लिए प्लेटफार्मों पर स्टालों और ट्रॉलियों पर खाना पकाने को धीरे-धीरे कम करने के प्रयास होने चाहिए, केवल उन मदों को छोड़कर जो विद्युत चालित उपकरणों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं।

उपरोक्त अनुदेश सभी क्षेत्रीय रेलों में लागू कर दिए गए हैं।

****

s.k